

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग।
अधिसूचना

संख्या-1जी/ई०जि०क०-20-25/2014.290.....अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन कल्याण सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों को कार्यहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से कॉलम-4 में अंकित जिला/अनुमंडल में अगले आदेश तक स्थानांतरित कर पदस्थापित किया जाता है, जो निम्नवत है :-

क० सं०	पदाधिकारी का नाम/पदनाम	वर्तमान पदस्थापित जिला	नव पदस्थापित जिला/अनुमंडल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री आशुतोष शरण, नियमित अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी	(मुख्यालय में पदस्थापन की प्रतीक्षा में)	प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी, गया।	कार्यहित में
2	श्री मृत्युंजय नारायण सिंह, नियमित अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी	प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी, गया	प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी, बक्सर	प्रशासनिक दृष्टिकोण से
3	श्री शुभ नारायण दत्त, नियमित अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी	(मुख्यालय में पदस्थापन की प्रतीक्षा में)	अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी, सोनपुर।	कार्यहित में
4	श्री कृष्णा राम, नियमित अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी	(मुख्यालय में पदस्थापन की प्रतीक्षा में)	अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी, पश्चिमी मुजफ्फरपुर।	प्रशासनिक दृष्टिकोण से
5	श्री कन्हैया राम, नियमित अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी	(मुख्यालय में पदस्थापन की प्रतीक्षा में)	अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी, सिकरहना, पूर्वी चम्पारण	प्रशासनिक दृष्टिकोण से
6	श्री सुनील कुमार मिश्रा, कार्यकारी अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी	कार्यकारी अनुमंडल (मुख्यालय में पदस्थापन की प्रतीक्षा में)	कार्यकारी अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी दानापुर।	कार्यहित में
7.	श्री ज्ञान प्रकाश, कार्यकारी अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी	(मुख्यालय में पदस्थापन की प्रतीक्षा में)	कार्यकारी अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी, झंझारपुर	कार्यहित में
8	श्री सुरेश नन्दन सहाय, कार्यकारी अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी	(मुख्यालय में पदस्थापन की प्रतीक्षा में)	कार्यकारी अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी, निर्मली, जिला-सुपौल	कार्यहित में।

2- सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि वे स्थानांतरित स्थान पर अविलम्ब योगदान समर्पित करें अन्यथा दिनांक-20-2-2015 के प्रभाव से स्वतः विरमित समझे जायेंगे। स्थानांतरित पदाधिकारियों का माह फरवरी, 2015 का वेतन नये पदस्थापित स्थान से ही भुगतये होगा।



3- सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि योगदान कर प्रतिवेदन विभाग को भेजना सुनिश्चित करेंगे। स्थानान्तरित स्थान पर योगदान समर्पित नहीं करने की स्थिति में उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारम्भ की जायेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के सचिव

ज्ञापांक-1जी/ई0जि0क0-20-25/2014-290 पटना दिनांक- 16/02/2015
प्रतिलिपि-अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग पटना को दो हार्ड कॉपी एवं सी0डी0 सहित आगामी राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक-1जी/ई0जि0क0-20-25/2014-290 पटना दिनांक- 16/02/2015
प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रशासी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार पटना/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/निदेशक, कल्याण/मिशन निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/सभी संबंधित पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी (विभागीय आरोप शाखा)/आई0टी मेनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2- सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि स्थानान्तरित पदाधिकारियों को माह फरवरी, 2015 से नव पदस्थापित स्थान से वेतन भुगतान किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

सरकार के सचिव